

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 6.4.15

सं.-21/एस.एस.सी.-24/2013,सा.प्र.-5192/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम-7, 2002) की धारा-12 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 के नियम-5 के निम्नलिखित अंश को तुरंत के प्रभाव से विलोपित करती है :-

“ प्रत्येक परीक्षा में 10 प्रतिशत उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा-2 के लिए शामिल होने की अनुमति दी जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा 2 के सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी।”

बिहार राजपत्र के आदेश से,
6/4/2015
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/एस.एस.सी.-24/2013,सा.प्र.-5192/ पटना-15, दिनांक 6.4.15

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी पाँच सौ प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

6/4/2015
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/एस.एस.सी.-24/2013,सा.प्र.-5192/ पटना-15, दिनांक 6.4.15

प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग/सभी विभागध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/4/2015
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/एस.एस.सी.-24/2013,सा.प्र.-5192/ पटना-15, दिनांक 6.4.15

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/4/2015
सरकार के अपर सचिव।

06 अप्रैल 2015

सं.-21/एस.एस.सी.-24/2013,सा.प्र.5192 अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4/6/15
(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

Patna, Dated 6.4.15

Memo No-21/S.S.C.-24/2013 Ga-5193 In exercise of the powers conferred under sub section (1) of section-12 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act, 7, 2002), the State Government of Bihar is hereby pleased to delete the following Part of Rule-5 of the Bihar Staff Selection Commission Conduct of Examination Rules, 2010 with immediate effect :-

“ In each examination, candidates obtaining 10% highest marks shall be permitted to appear in the Preliminary Examination -2 . The main examination shall be conducted for successful candidates of the Preliminary Examination -2 .”

By the order of Governor of Bihar,

4/6/15
(Keshav Kumar Singh)

Additional Secretary to Government.

MemoNo-21/S.S.C.-24/2013 Ga-5193 Dated- 6.4.15

Copy forwarded to Superintendant Secretariat Press, Gulzarbag, Patna for publication in extra-ordinary issue of Bihar Gazette. He is also requested to send its 500 copies to this Department.

4/6/15
Additional Secretary to Government.

MemoNo-21/S.S.C.-24/2013 Ga -.....Dated-.....

Copy forwarded to All Government Departments/All Head of the Department/ All Divisional Commissioners/ All District Magistrates for information and necessary action.

19/6/15

Additional Secretary to Government.

MemoNo-21/S.S.C.-24/2013 Ga -.....Dated-.....

Copy forwarded to Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna for information and necessary action

19/6/15

Additional Secretary to Government